

नम्बर
अहकाम
हुक्म की
तारीख

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज राजशन आदेवन-143/2026 अनगाम राजशुग बनाम आरशुग गरीश	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
02.02.2026	<p>प्रार्थी वकील उपरिथत। प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई, प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के खातेदारी खेत सेढा सेढा आए हुए है। प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के खेत की सीमाओ पर पुरानी माढे एवं कणे बने हुए थे जो वर्तमान में आंधियों की वजह से विखर गए है जिससे प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के बीच खेतों की सीमाओं को लेकर हमेशा विवाद बना रहता है इस कारण प्रार्थी को अपने खेतों की सीमाओं का सही ज्ञान करवाने बाबत् नेखमबंदी करवानी आवश्यक है इसलिए प्रार्थी के नेखमबंदी आवेदन को स्वीकार किया जाकर नेखमबंदी आदेश किया जावें।</p> <p>अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का नेखमबंदी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गिड़ा को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि आप स्वयं या अपने अधीनस्थ भू अ. निरीक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर कमीशनर शुल्क जमा कराकर करें। आदेश अलग से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो, पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफतर हो।</p>	

पञ्चण्ड अधिकारी बायबु
जिला-वाइमेर

राजस्थान-सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु, जिला बालोतरा

दिनांक : 02.02.26

क्रमांक : रा.आ./2026/769

प्रार्थी
राजूराम पुत्र दुर्गराम जाति जाट
निवासी गोदारों की बस्ती, दानपुरा,
तहसील गिड़ा जिला बालोतरा।

बनाम

विप्रार्थी
आसुराम पुत्र शेराराम जाति जाट निवासी
गोदारों की बस्ती, दानपुरा, तहसील गिड़ा
जिला बालोतरा।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या : 143/2025

आदेश

प्रार्थी के खातेदारी खेत मौजा गेदारों की बस्ती पटवार हल्का जाखड़ा, तहसील गिड़ा जिला बालोतरा के खेत खसरा नम्बर 464/297 रकबा 15.1959 हैक्टेयर भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहे एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकार है कि वह अपनी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान/नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है, एवं तहसीलदार गिड़ा को कमिशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमिशनर स्वयं या सहायक कमिशनर से प्रार्थी के खातेदारी खेत की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमिशनर शुल्क 1000/-जमा करा कर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबंधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु आपको अधिकृत किया जाता है।



क्रमांक: रा.आ./2025/770-775

प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार गिड़ा।
2. भू-अभिलेख निरक्षक गिड़ा।
3. पटवार हल्का जाखड़ा तहसील गिड़ा जिला बालोतरा को भेज कर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रिकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
4. प्रार्थी राजूराम पुत्र दुर्गराम वगैरा 02
5. विप्रार्थी आसुराम पुत्र शेराराम वगैरा 15
6. पुलिस थानाधिकारी गिड़ा।

(कल्पित शिवराम)
उपखण्ड अधिकारी बायतु
जिला बाडमेर
दिनांक : 02.02.26

उपखण्ड अधिकारी बायतु
जिला बाडमेर